झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
एकादश(शीतकालीन)-सत्र
वर्ग-04

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न,गुरूवार,दिनांक 23 अग्रहायण,1939 (श0) / 14 दिसम्बर ,2017 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
#25)-	अ0सू0-11	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	बाल विवाह का रोकथाम	कल्याण	07.12.17
26)-	अ0सू0-20	श्री राजकुमार यादव	दोषियों पर कार्रवाई।	खाद्य,सार्व0वित0एवं उपभोक्ता मामले	09.12.17
27)-	अ0सू0-13	श्री शिवशंकर उराँव	वेतनमान सुनिश्चित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	09.12.17
*28)-	अ0सू0-15	श्रीमती मेनका सरदार	राज्यमंत्री का दर्जा के के संबंध में।	मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी	09.12.17
29)-	अ0सू0-12	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	09.12.17
30)-	अ0सू0-02	श्री अनन्त कु0 ओझा	शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	30.11.17
31)-	अ0सू0-18	श्री निर्भय कु0शाहाबादी	दोषियों पर कार्रवाई।	वन पर्या0 एवं जलवायु परिवर्तन	09.12.17
32)-	अ0सू0-10	श्रीमती जोबा माझी	योजना को चालू करना।	जल संसाधन	07.12.17
33)-	अ0सू0-21	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी	सिंचाई सुविधा मुहैया कराना।	जल संसाधन	09.12.17
34	अ0सू0-07	श्री कुलवाहा शिवपुजन मेहता	पठन-पाठन का सामग्री उपलब्ध कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	07.12.17

- कल्याण विभाग के ज्ञापांक - 3720, दिनांक - 11.12.17 द्वारा महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में स्थानांतरित। कृ0पृ0उ0---

* - मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के ज्ञापांक - 1535, दिनांक - 11.12.17 द्वारा महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में स्थानांतरित।

02	03	04	05	06
(35)- अ0सू0-04	श्री प्रदीप यादव	दोषियों पर कार्रवाई।	ऊर्जा	01.12.17
(36)- अ0सू0-09	श्री साधुचरण महतो	मानदेय एवं नियमित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	07.12.17
(37)- अ0सू0-05	श्री प्रदीप यादव	ट्रांसफॉर्मर को बदलना।	ऊर्जा	01.12.17
(38)- अ0सू0-14	श्री शिवशंकर उराँव	कानूनी कार्रवाई करना।	जल संसाधन	09.12.17
(39)- अ0सू0-03	श्री राधाकृष्ण किशोर	आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन का निर्माण।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	01.12.17
(40)- अ0सू0-08	श्रीमती गीता कोड़ा	दोषियों पर कार्रवाई एवं गबन की राशि की वसूली।	ऊर्जा	07.12.17
(41)- अ0सू0-17	श्री राजकुमार यादव	अनियमितताओं की जाँच।	जल संसाधन	09.12.17
(42)- अ0सू0-01	श्री आलमगीर आलम	लम्बित वेतन का भुगतान।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	30.11.17
(43)- अ0सू0-16	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी	सिंचाई सुविधा मुहैया कराना।	जल संसाधन	09.12.17
(44)- अ0सू0-19	श्री मनीष जायसवाल	मानक को समाप्त करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	09.12.17

राँची
दिनांकः-14दिसम्बर,2017 ई0।

विनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-01/2016-2840/वि0स0,राँची,दिनांकः-11/12/17 2017 ई0।

प्रतिलिपि :-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.12.17
(अनिल कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-01/2016-2840/वि0स0,राँची,दिनांकः-11/12/17 2017 ई0।

प्रतिलिपि :-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय,झारखण्ड विधान सभा,राँची को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

11.12.17
(अनिल कुमार)
उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-01/2016-2840/वि0स0,राँची,दिनांकः-11/12/17 2017 ई0।

प्रतिलिपि :-कार्यवाही शाखा,वेबसाईट शाखा,ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

11.12.17
(अनिल कुमार)
उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा,राँची।

मंगल

11/12/17

(25)

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–14.12.2017 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–11 का उत्तर

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पिछले पाँच वर्षों में बड़ी संख्या में नाबालिग लड़कियों की शादी के मामले बढ़े है ;	नाबालिग लड़कियों की शादी से संबंधित विगत पांच वर्षों की वर्षवार आँकड़े की विवरणी महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में संधारित नहीं है। विभागीय पत्र सं0–4607 दिनांक–11.12.2017 द्वारा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड से उत्तर प्रतिवेदन की मांग की गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त मामले की रोकथाम के लिए ऑपरेशन मुस्कान को प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है ;	आपरेशन मुस्कान मुख्यतः बाल तस्करी एवं गुमशुदा बच्चों की बरामदगी तथा उनके पुनर्वास से संबंधित है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त मामले में बाल विवाह निषेध कानून बनाने और इसे प्रोत्साहित करने का विचार सरकार रखती है;	झारखण्ड बाल विवाह प्रतिषेध नियमावली – 2015 विभागीय अधिसूचना सं0– 786 दिनांक–23.04.2015 के द्वारा अधिसूचित है तथा इसके कार्यान्वयन तथा प्रोत्साहन हेतु सरकार प्रतिबद्ध है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस दिशा में समुचित कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार बाल विवाह निषेध कानून का व्यापार प्रचार–प्रसार तथा आम जनता में जागरुकता के लिए कटिबद्ध है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/वि0स0/अल्प सूचित प्रश्न–505/2017– 4762 राँची, दिनांक 13/12/2017

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2791/वि0स0 दिनांक–07.12.2017 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/17

(लालू कच्छप)

सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 14.12.2017 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– [illegible]–20 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री राज कुमार यादव,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में BPL कार्डधारियों को खाद्य वितरण हेतु आधार से लिंक के बिना किसी को राशन नहीं देने के संबंध में मुख्य सचिव द्वारा लिखित आदेश तथा विडियो कान्फ्रेंस कर सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया गया था;	आंशिक स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि पिछले महीनों में सिमडेगा जिला में बच्ची संतोषी की मौत, धनबाद जिला के झरिया में रिक्शा चालक वैद्यनाथ दास की मौत तथा देवघर जिला में रूपलाल मरांडी की मौत, तीनों की मौत घर में अनाज का दाना नहीं रहने, राशन नहीं मिलने, राशन कार्ड नहीं रहने बायोमेट्रीक मशीन में निशान नहीं मिलने के कारण भुख से मौत हुई है;	अस्वीकारात्मक।
(3) क्या बात सही है कि मुख्य सचिव के उपर्युक्त आदेश को खाद्य मंत्री के द्वारा रद्द कर दिया गया है तथा पूर्व की व्यवस्था फिर से तीनों मौतों के बाद लागू किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में हुई तीनों भुख से हुई मौतों की जाँच न्यायिक सेवा के न्यायाधीश से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के उल्लंघन के आलोक में दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है।

ह0/–
(विनय कुमार राय),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 6–8 (वि०स०) 61/2017– 4970 /राँची, दिनांक 13/12/17

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 2835, वि०स०, दिनांक 09.12.2017 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(27) 2274 / 12/12/2017

श्री शिव शंकर उराँव, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-13 क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-		
क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग ने संकल्प संख्या-06एस0-16(फि0क0)-01/2009-2891/12 दिनांक 13.08.2014 द्वारा संसूचित फिटमेंट टेबल के अनुरूप शिक्षकों का वेतनमान (वेतन एवं भत्ता) स्वीकार किया था तथा झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से सरकार के सचिव का भी आदेश जारी हो चुका है;	वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन संकल्प पर वित्त विभाग के पत्रांक 3251 दिनांक 11.09.2014 द्वारा अगले आदेश तक रोक लगा दी गयी है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में उद्धृत राज्यपाल तथा सरकार के सचिव के आदेश के अनुरूप फिटमेंट टेबल के आधार पर संदर्भित शिक्षकों को वेतनमान दिया जाना है;	कंडिका-1 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।
3	यदि उपर्युक्त दोनों खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे संदर्भित शिक्षकों को उक्त फिटमेंट टेबल के अनुसार वेतनमान देना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	तथैव

12/12/17
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(I)-135/2017 2274 राँची, दिनांक 12/12/2017

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/12/17
सरकार के अवर सचिव।

दिनांक–14.12.2017 को श्रीमती मेनका सरदार, मा0स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0–15 का उत्तर

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में बच्चों के खिलाफ अपराध के ग्राफ में 43.37 % बढ़ोत्तरी हुयी है जो बेहद चिंताजनक है ;	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग तथा इसके अधीनस्थ गठित झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में बच्चों के विरुद्ध घटित अपराधों की वर्षवार आंकड़े की विवरणी संधारित नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने तथा बाल अधिकार संरक्षित करने हेतु वर्ष 2005 में झा0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया था ;	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 में अंगीकृत किया गया है। झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन विभागीय अधिसूचना सं0–1882 द्वारा दिनांक–18.10.2011 को किया गया।
3.	क्या यह बात सही है कि खंड–2 में वर्णित आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों को राज्य में गठित महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग तथा अन्य बोर्ड–निगम के अध्यक्ष–सदस्यों के तरह कैबिनेट मंत्री–राज्यमंत्री का दर्जा नहीं दिया गया है, जिसमें बच्चों को अधिकार सुनिश्चित करने में परेशानी हो रही है ;	झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को वैधानिक हैसियत प्रदत्त है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड–2 में वर्णित आयोग को शक्तिशाली बनाते हुए इसके अध्यक्ष–सदस्यों को कैबिनेट मंत्री–राज्यमंत्री का दर्जा देकर बच्चों के भविष्य सुरक्षित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	अपेक्षित नहीं है।

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/वि0स0/अल्प सूचित प्रश्न–507/2017 – 4761 राँची, दिनांक 13/12/ 2017

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2833/वि0स0 दिनांक–09.12.2017 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/2017
(लालू कच्छप)
सरकार के उप सचिव।

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–12

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में एंटी रैगिंग कमिटि गठित है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट में झारखण्ड में पिछले आठ सालों में 136 रैगिंग की घटना होने की सूचना दी गयी है;	स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त मामले में विभागीय पदाधिकारियों ने लापरवाही बरती है और सभी विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों में एंटी रैगिंग कमिटि का गठन अब तक नहीं किया जा सका है;	राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में एंटी रैगिंग सेल/कमिटि का गठन किया जा चुका है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस दिशा में समुचित कदम उठाने और मामले में दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर कंडिका–1, 2 एवं 3 में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0–86/2017 2884 राँची दिनांक– 13/12/17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–2830 दिनांक–09.12.2017 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.12.17

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

श्री अनन्त कुमार ओझा, स०वि०स० द्वारा प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-02

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है राज्य के आठ विधान सभा क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज के भवन निर्माण हेतु 126 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए हैं;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला मुख्यालय से उधवा प्रखण्ड मुख्यालय की दूरी 50कि0मी0 है, जहाँ डिग्री महाविद्यालय स्थापित नहीं रहने के कारण, स्थानीय छात्र-छात्राओं को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य गठन के पश्चात् से ही साहेबगंज जिला के प्रखण्ड उधवा में "डिग्री कॉलेज" निर्माण व स्थापित करने की मांग होत आ रही है;	स्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-(2) में वर्णित जिला अन्तर्गत प्रखण्ड में "डिग्री कॉलेज" स्थापित कर स्थानीय छात्र-छात्राओं को उच्चतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक-1956 दिनांक-07.09.2016 द्वारा राज्य के वैसे विधान सभा क्षेत्र, जहाँ पूर्व से कोई महाविद्यालय संचालित नहीं है, वहाँ डिग्री महाविद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है। उधवा प्रखण्ड राजमहल विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत है। इस विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत साहेबगंज में एक महिला महाविद्यालय एवं एक डिग्री महाविद्यालय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। विधान सभा क्षेत्र से इतर प्रखण्ड स्तर पर डिग्री महाविद्यालय खोले जाने का कोई निर्णय नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0-78/2017 2868 रांची दिनांक- 13/12/17

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-2631 दिनांक-30.11.2017 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.12.17

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(32)

श्रीमती जोबा मांझी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-14.12.2017 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०-अ०सू०-10 का उत्तर प्रतिवेदन:-

क्र०	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिम सिंहभूम जिला के आनंदपुर प्रखण्ड अन्तर्गत लघु सिंचाई प्रमण्डल, चाईबासा द्वारा वर्ष 2015-16 में रूंधीकोचा नाला में श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण योजना की स्वीकृति हुयी है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त चेकडैम निर्माण योजना का निर्माण अब तक शुरू नहीं हुआ ;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त चेकडैम निर्माण योजना को शुरू करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नही तो क्यों ?	प्रश्नगत योजना का शिलान्यास माननीय सांसद द्वारा दिनांक-16.05.2016 को कराते हुए कार्य पूर्ण करा दिया गया है तथा पूर्ण योजना को लाभुक समिति को हस्तांतरित कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-10 अ०सू०-08/2017 5300/ राँची, दिनांक- 13.12.17

प्रतिलिपि :-(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-2790 दिनांक-07.12.2017 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय कॉके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/17
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(33)

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-14.12.2017 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०-अ०सू०-21 का उत्तर प्रतिवेदन:-

क्र०	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला प्रायः सुखाड़ / आकाल के चपेट में आते रहता है एवं कोई कल-कारखाना नहीं होने की वजह से यहाँ के 85% लोग कृषि पर आधारित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि गढ़वा विधान सभा क्षेत्र के चिनियाँ प्रखंड स्थित ग्राम चफला में कदुआखोह नाला पर ग्राम-बेरारी में करूआसना नदी पर ग्राम डोल में करवनियाँ नाला पर, एवं रेका प्रखंड स्थित ग्राम सिगसिगा कला में होबरा नदी पर बाहाहारा के मनबोधी नदी पर डैम एवं कैनाल नहीं होने से नदियों में पानी के बावजूद करीब 60 गाँव सिंचाई से वंचित है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-(2) में वर्णित स्थानों पर डैम एवं नहर बनाकर किसानों को सिंचाई सुविधा मुहैया कराना चाहती है, हाँ तो कबतक नही तो क्यों ?	प्रारम्भिक स्थल सर्वेक्षण में पाया कि मनबोधी नदी में डैम स्थल का डूब क्षेत्र पूर्णतः वनभूमि में पड़ता है। सभी योजनाओं का विस्तृत सर्वेक्षणोपरांत सम्भाव्यता पाए जाने पर योजना का निर्माण लाभ-लागत अनुपात, बजटीय उपबंध एवं क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर आगामी वर्षो में किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-10 अ०सू०-12/2017 5303 / राँची, दिनांक- 13.12.17

प्रतिलिपि :-(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-2829 दिनांक-09.12.17 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/17
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(34)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- अ.सू.-07

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में 10,000 (दस हजार) दृष्टिहीन विद्यार्थी है	वस्तुस्थिति यह है कि यू-डाइस में संधारित सरकारी विद्यालय कक्षा-1 से 12 तक में 2711 दृष्टिहीन विद्यार्थी विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि दृष्टिहीन विद्यार्थियों के पठन-पाठन हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा अभी तक ब्रेललिपि में एक भी पठन-पाठन् किताब एवं सामग्री की आपूर्ति नहीं जा रही है	अस्वीकारात्मक। अद्यतन प्राप्त सूचना के अनुसार 290 बच्चों हेतु पुस्तक मुद्रति एवं प्राप्त है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दृष्टिहीन बच्चों पर उदारता दिखाते हुए ब्रेललिपि में पठन-पाठन सामग्री छपवाकर उपलब्ध कराने का विचार रखती है. यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यां ?	वित्तीय वर्ष 2017-18 में साईट सेवर्स संस्था के साथ एकरारनामा हस्ताक्षरित किया गया है। उक्त संस्था द्वारा ब्रेललिपि में पुस्तक मुद्रण किया जा रहा है। पुस्तकों का आवश्यकतानुसार वितरण किया जा रहा है।

13/12/17

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक .....1722..... राँची, दिनांक .....13/12/.....2017

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2709, दिनांक 07.12.2017 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/17

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 14.12.2017 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–04 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि टी0वी0एन0एल पॉवर प्लांट ने वर्ष 2012–13 में 33 पैसा प्रति युनिट बिजली बेचकर मुनाफा कमाया था जो टी0वी0एन0एल0 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। (दिनांक–15.08.2017 हिन्दुस्तान टाईम्स, राँची के अनुसार)।	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2013–14 से वर्ष 2015–16 में यह प्लांट घाटे में चला गया और 86 पैसा प्रति युनिट का घाटा उठाना पड़ा जो टी0वी0एन0एल0 के उच्च पदाधिकारियों के भ्रष्ट कारनामों एवं कुप्रबंधन का नतीजा है?	आंशिक स्वीकारात्मक। | वित्तीय वर्ष | लाभ / हानि असाधारण मद में पूर्व के वर्षों का खर्च का समायोजन के पहले (पैसे / युनिट) | लाभ / हानि असाधारण मद में पूर्व के वर्षों का खर्च का समायोजन के बाद (पैसे / युनिट) | | 2013–14 | 0.11 | (0.66) | | 2014–15 | 0.05 | (0.07) | | 2015–16 | 0.08 | (0.86) | वित्तीय वर्ष 2013–14 (221.73 करोड़) एवं 14–15 (123.26 करोड़) और 15–16 (204.28 करोड़) में असाधारण मद में पूर्व के वर्षों का खर्च का समायोजन अंकेक्षण दल के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार एवं Accounting Standard (AS-5) के तहत किया गया। वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल 221.73 करोड़ Penal Interest का समायोजन किया था। जिसके फलस्वरूप निगम को 0.66 प्रति युनिट हानि हुई। वित्तीय वर्ष 14–15 में Accounting Standard (AS-5) के तहत असाधारण मद में 123.26 करोड़ रू0 का समायोजन किया गया। फलस्वरूप उक्त वर्ष में 0.07 प्रति युनिट के दर से हानि हुई। वित्तीय वर्ष 15–16 में Accounting Standard (AS-5) के तहत असाधारण मद में 204.28 करोड़ रू0 का समायोजन किया गया। फलस्वरूप उक्त वर्ष में 0.86 प्रति युनिट के दर से हानि हुई। उक्त प्रावधान स्थापित वित्तीय प्रबंधन के तहत किये गए।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रबंधन से जुड़े हुए पदाधिकारियों पर आवश्यक कार्रवाई कर व्यवस्था को दुरूस्त करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4394 / दिनांक 12/12/17

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/2017

सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री साधु चरण महतो, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- अ.सू.-09

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि संपूर्ण झारखण्ड प्रदेश के स्कूलों में चल रहे मध्याह्न भोजन योजना में संयोजिका/रसोईया की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, योजना की शुरूआत से लेकर अब तक ये लोग निःशुल्क अपनी सेवा संतोषजनक देते आ रहे हैं। इनकी सेवा को देखते हुए मानवता के नाते इनके लिए मानदेय व नियमित करने की बात के बजाये अक्सर इन्हें शिक्षक, शिक्षा समिति एवं विभाग द्वारा विभिन्न बहानों द्वारा प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, जो न्यायोचित नहीं है,	अस्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में संयोजिका/रसोईया को उचित मानदेय/नियमित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मध्याह्न भोजन योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें मात्र रसोईया-सह-सहायिका को केन्द्र सरकार के अंश के रूप में 600/- रुपये तथा राज्य सरकार के अंश के रूप में 400/- रुपये प्रति माह मानदेय देने का प्रावधान है। उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 500/- (पाँच सौ) रुपये प्रति माह अतिरिक्त मानदेय भुगतान राज्य योजना मद से किया जाता है। इस तरह लगभग 1500/- रुपये प्रति माह भुगतान किया जाता है। संयोजिकाओं के लिए मानदेय का कोई प्रावधान नहीं है। संयोजिका पोषक क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के अभिभावक होते हैं। यह विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य होती है। इस कारण यह स्वेच्छा से कार्य करती है।

अकुशिंह 13/12/17

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 1718 राँची, दिनांक 13/12/2017

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2784, दिनांक 07.12.2017 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अकुशिंह 13/12/17

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(37)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 14.12.2017 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–05 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पोड़ैयाहाट विधान-सभा क्षेत्र के अंचल- पोड़ैयाहाट, गोड्डा एवं सरैयाहाट में क्रमशः 24, 06 एवं 08 गाँवों का ट्रांसफार्मर 01 वर्ष पूर्व से जले हुए है?	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि स्थानीय विधायक द्वारा प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार एवं महाप्रबंधक, विद्युत प्रमंडल दुमका को जले हुए ट्रांसफार्मर के गाँवों की लिखित सूचना एक माह पूर्व ही दे दी गई है?	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एक सप्ताह के अंदर उक्त ग्रामों के जले ट्रांसफार्मर को बदलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	पोड़ैयाहाट के 24 एवं गोड्डा के 06 जले/ खराब ट्रांसफार्मर में पोड़ैयाहाट के कुसाबाड़ी एवं अमुवार मांझी टोला का 02 ट्रांसफार्मर बदल दिया गया है। शेष बचे 28 ट्रांसफार्मर को माह दिसम्बर 2017 तक बदलने का लक्ष्य है। सरैयाहाट का ग्राम पिण्डरा का 1X100 KVA ट्रांसफार्मर एक सप्ताह के अन्दर बदल दिया जायेगा। ग्राम केंदुआ, मधुबन, अमडीहा, कनकट्टा, लूसिया के 25 KVA ट्रांसफार्मर को दिसम्बर 2017 तक बदलने का लक्ष्य है। ग्राम समय में 16 KVA का ट्रांसफार्मर के साथ 20 पोल का HT तार एवं ब्रैकेट तथा ग्राम नागबासकी में 25 KVA ट्रांसफार्मर DDUGJY के अन्तर्गत मेसर्स नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा 25 KVA ट्रांसफार्मर से माह मार्च 2018 तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4396 / दिनांक 12-12-17

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

(38)

श्री शिव शंकर उराँव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-14.12.2017 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०-अ०सू०-14 का उत्तर प्रतिवेदन:-

क्र०	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि झारखंड सरकार द्वारा राज्य के किसानों के खेतों में पानी पहुँचाने हेतु विशेष अभियान-"गाँव का पानी गाँव में, खेत का पानी खेत में" के तहत राज्य के छोटे-छोटे नदी नालों में चेकडैम एवं पूर्व में लघु एवं मध्यम सिंचाई योजना के तहत निर्मित बांधो/ डैमों का भी जीर्णोद्धार का काम कराया जा रहा है और इस निमित्त करोड़ों रूपये की राशि सरकारी कोष से व्यय किया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त किस्म के चेकडैम एवं बांधों के क्रमशः निर्माण एवं जीर्णोद्धार के योजनाओं के प्राक्कलन निरूपण में योजनाओं से सिंचित होने वाले भूमि के आंकड़ो को बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया जाता है और प्राक्कलित राशि को फर्जी तरीके से व्ययित दिखाकर योजनाओं की राशि विभागीय अधिकारियों / कर्मियों तथा कार्यान्वयन एजेन्सियों (ठेकेदार) के बीच बंदरबांट की जाती है ;	सिंचाई विभाग द्वारा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार/ चेकडैम का निर्माण, स्थल सर्वेक्षणोपरांत जल ग्रहण क्षेत्र एवं कमांड एरिया का आकलन, माननीय जन प्रतिनिधियों एवं स्थानीय ग्रामीणों की अनुशंसा के उपरांत स्थापित नियमों एंव मानदण्डों के अनुरूप कराया जाता है। चेकडैम योजनाओं के निर्माण के उपरांत लाभुक समिति को रख-रखाव एवं संचालन हेतु हस्तगत करा दिया जाता है। इन योजनाओं का जीर्णोद्धार आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा कराया जाएगा।
3	क्या यह बात सही है कि ऐसी योजनाओं के एक बार किसी प्रकार क्रियान्वयन के बाद उसे निरीक्षण करने अथवा अनुश्रवण करने की कोई जरूरत नहीं समझी जाती है जिससे चेकडैम निर्माण की योजनाएं राज्य में असफल है ;	
4	यदि उपर्युक्त दोनो खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे फर्जी दर्शाए जाने वाले आंकड़ो की जांच कराकर संलिप्त विभागीय अधिकारियों / कर्मियों पर समुचित कानूनी कार्रवाई कर दंडित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नही तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-10 अ०सू०-09/2017 5301 / राँची, दिनांक- 13.12.17

प्रतिलिपि :-(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-2826 दिनांक-09.12.17 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.12.17

सरकार के अवर सचिव

जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री राधाकृष्ण किशोर, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 14.12.2017 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–03 का उत्तर।

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में कुल–38432 आँगनबाड़ी केन्द्र है जिसके विरुद्ध जून, 2017 तक 22000 आँगनबाड़ी केन्द्रों का अपना भवन नहीं रहने के कारण किराये के मकान में संचालित हो रहे है, फलस्वरुप किराये के मकान में पर्याप्त जगह नहीं रहने के कारण आँगनबाडी केन्द्रों की विभिन्न गतिविधियों यथा गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं एवं बच्चों के पूरक पोषाहार के संचालन में कठिनाई होती है ;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि राज्य के 22000 भवनहीन आँगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण कब तक कराना चाहती है;	1. 15138 आँगनवाड़ी केन्द्र सरकारी भवन में संचालित हैं। 2. 13 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत 2481 निर्माणाधीन है। 3. मनरेगा Convergence के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत 3646 आँगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माणाधीन है। 4. इसी तरह वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्वीकृत 5000 आँगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु राशि ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध कराया गया है। 5. शेष आँगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण चरणबद्ध रुप में कराया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/मा०स०/वि०स०/अल्प सूचित प्रश्न–496/2017–4751 राँची, दिनांक : 13-12-2017

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–2661/वि०स० दिनांक–01.12.2017 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/2017

(लालू कच्छप)

सरकार के उप सचिव

(40)

श्रीमती गीता कोड़ा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 14.12.2017 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–08 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती गीता कोड़ा, मा0स0वि0स0	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि निर्बाध विद्युतापूर्ति हेतु प्रत्येक वर्ष इंसुलेटर की खरीदारी होती है, परन्तु खरीदारी से पहले बोर्ड मुख्यालय से आदेश लेना अनिवार्य है;	प्रत्येक वर्ष इंसुलेटर की खरीदारी मुख्यालय द्वारा स्वीकृत बजट के अनुरूप एवं वित्तीय प्रदत्त अधिकार के आलोक में विद्युत आपूर्ति क्षेत्र द्वारा किया जाता है। प्रत्येक खरीदारी के पहले बोर्ड मुख्यालय से आदेश लेना अनिवार्य नहीं है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित बोर्ड मुख्यालय से अनुमति लिये बगैर वित्तीय वर्ष 2015–16–17 में जमशेदपुर, राँची, धनबाद, मेदिनीनगर समेत सात सर्किल में 30 हजार इंसुलेटर खरीदे गये;	सभी विद्युत आपूर्ति क्षेत्रों द्वारा खरीदे गए विभिन्न प्रकार के इंसुलेटर वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में क्रमशः 211242 एवं 123781 क्रय किये गये हैं।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड-2 में वर्णित इंसुलेटर की आपूर्ति समान वित्तीय वर्ष में एक ही आपूर्तिकर्त्ता को दी गई तथा विभाग ने 200 रू० के इंसुलेटर को 1600 रूपये में खरीदा;	अस्वीकारात्मक। सभी क्रय एक से अधिक आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा अलग–अलग वर्षों में अलग–अलग दर पर क्रय किये गये हैं। इस संबंध में दरों के अन्तर स्पष्ट करने हेतु निगम के आदेश से दिनांक–14.11.2017 को तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है एवं जांच जारी है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1,2,3 में वर्णित विषयों की जाँच कर भ्रष्टाचार में लिप्त विभागीय पदाधिकारियों/ कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए आपूर्तिकर्त्ता से राशि की वसुली सुनिश्चित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। जांचोपरान्त नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4406 / दिनांक 13-12-17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/2017

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री राज कुमार यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-14.12.2017 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०-अ०सू०-17 का उत्तर प्रतिवेदन:-

क्र०	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में गिरिडीह जिला के प्रखंड धनवार अंतर्गत भुधरनी, गाँवा प्रखंड अंतर्गत परसोनी एवं सेतेन्द्रों तथा तिसरी प्रखंड अंतर्गत खटपोंक में चेकडैम निर्माण कराया गया है ;	वित्तीय वर्ष 2016-17 में धनवार प्रखंड अंतर्गत भूधरनी नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम, गाँवा प्रखंड अंतर्गत परसौनी नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम तथा तिसरी प्रखंड अंतर्गत अम्बातरी नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम का निर्माण कराया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त चारों चेकडैम के निर्माण में काफी अनियमितताएं बरती गयी है, घटिया निर्माण कर पंपसेट/डिजल-मोटर में घपला कर रूपयों का बंदरबांट किया गया है ;	उपरोक्त योजनाओं का निर्माण गुणवत्ता पूर्वक तथा विशिष्टियों के अनुरूप कराया गया है। प्रत्येक चेकडैम के लिए गठित लाभुक समिति के अध्यक्ष / सचिव को विशिष्ट मानक वाले 8एच0पी0 का डीजल पम्पसेट हस्तगत कराया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त चारों चेकडैमों के निर्माण के बाद से किसानों को सिंचाई का लाभ अब तक नहीं मिल पाया है ;	अस्वीकारात्मक। चेकडैम तथा माईक्रोलिफ्ट के निर्माण के पश्चात् प्रत्येक माईक्रोलिफ्ट का Trial Run संबंधित लाभुक समिति के सदस्यों के समक्ष किया गया था, तथा संचालन की सम्पूर्ण प्रक्रिया से उन्हें अवगत कराया गया था। आवश्यकतानुसार लाभुक समिति के सदस्यों द्वारा इसका संचालन कर सिंचाई कार्य किया जाता है।
4	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त चारों चेकडैमों में हुई घटिया निर्माण/अनियमितताओं को निगरानी जांच कराकर तथा दोषयों को चिन्हित कर दण्ड देने की कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नही तो क्यों ?	उपरोक्त वर्णित सभी चेकडैमों का निर्माण गुणवत्ता पूर्वक तथा विशिष्टियों के अनुरूप किया गया है।

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-10 अ०सू०-11/2017 5302/ राँची, दिनांक- 13.12.17

प्रतिलिपि :-(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-2828 दिनांक-09.12.17 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/17

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(42) 2280 12-12-2017

श्री आलमगीर आलम, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-01

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-1294 दिनांक 28.07.2017 के आलोक में राज्य के सभी उपायुक्त को राज्य के गैर-सरकारी सहायता प्राप्त प्रस्वीकृत (वित्त रहित) 186 मदरसों का भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, जो अब तक लम्बित है;	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 1294 दिनांक 28.07.2017 द्वारा राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों (अविभाजित बिहार राज्य के समय के 186 मदरसे, जिसमें विधिवत् रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है) की जांच हेतु निदेश दिया गया है तथा 186 मदरसों में से 174 मदरसों का प्रतिवेदन प्राप्त है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के गैर-सरकारी सहायता प्राप्त प्रस्वीकृत (वित्त रहित) 186 मदरसों के शिक्षक/कर्मियों का वेतन भुगतान फरवरी 2017 से लम्बित है;	इन अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों में विधिवत् रूप से नियुक्त कर्मियों हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में वेतनादि भुगतान हेतु राशि मदरसों की जांच के कारण विमुक्त नहीं की गयी है।
3	यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रस्वीकृत (वित्त रहित) 186 मदरसों के शिक्षक/कर्मियों का लम्बित वेतन का शीघ्र भुगतान कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपायुक्त के माध्यम से 186 मदरसों में से 174 मदरसों का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। शेष 12 मदरसों के जांच प्रतिवेदन हेतु उपायुक्त को स्मारित किया गया है। प्राप्त 174 मदरसों के जांच प्रतिवेदन को झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा-7.5 के तहत् मानक के बिंदु को जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को भेजा जा चुका है, जो मदरसे जांच प्रतिवेदन के अनुसार निर्धारित मानक को पूरा कर रहे हैं, उन मदरसों में विधिवत् रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु राशि निर्गत करने की कार्रवाई की जायेगी।

12/12/17
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(I)-127/2017 2280 राँची, दिनांक 12-12-2017

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/12/17
सरकार के अवर सचिव।

(43)

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-14.12.2017 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०-अ०सू०-16 का उत्तर प्रतिवेदन:-

क्र०	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा विधान सभा के मेराल प्रखण्ड अंतर्गत बेलाही नाला पर डैम का निर्माण कार्य 14 वर्ष पूर्व 1.71 करोड़ की लागत से प्रारंभ हुआ ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा 95% राशि का भुगतान संवेदक को कर दिया गया, किन्तु आज तक डैम का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने की वजह से दर्जनों गाँव सिंचाई की सुविधा से वंचित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त दोनों खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त वर्णित नाला पर डैम का निर्माण कार्य जिनके लापरवाही के वजह से अधूरा है उनपर कार्रवाई करते हुए शेष बचे कार्य को अविलम्ब पूरा कराते हुए दर्जनों गाँवों को सिंचाई की सुविधा मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नही तो क्यों ?	(1) प्रश्नगत डैम अंतर्गत रिभर क्लोजर, हेड रेगुलेटर एवं नहर का कार्य नहीं हुआ है, बांध एवं स्केप भी अधुरा है। इन सभी कार्यो का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी जांच रूपांकण संगठन से की जा रही है। जांचोपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी। (2) जांचोपरांत दोषी पाये जाने पर दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-10 अ०सू०-08/2017 5308/ राँची, दिनांक- 13.12.17

प्रतिलिपि :-(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-2827 दिनांक-09.12.17 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/17
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(44)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री मनीष जायसवाल, स.वि.स. से प्राप्त अन्य-सूचित प्रश्न संख्या- अ.सू.-19

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के निजी विद्यालयों को अनिवार्य रूप से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नोरम्स अंतर्गत निबंधित होने का आदेश निर्गत की गई है जिसकेतहत् उक्त विद्यालयों की जमीन व कमरे की मानक मुख्य रूप से तय की गई है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड राज्य में झारखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 अंतर्गत कक्षा-1 से 8 तक के विद्यालयों को राज्य स्तर से मान्यता प्राप्त करने का निदेश नियमावली की कंडिका-12 में दिया गया है। इस हेतु प्रपत्र 1 अधिसूचित है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में लगभग 15,000 निजी विद्यालय खण्ड-01 में वर्णित नोरम्स अंतर्गत जमीन एवं कमरे की मानक को पूरा नहीं कर रहे हैं वैसे उक्त विद्यालयों को सरकार द्वारा बंद करने का आदेश दी गई है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प्राप्त सूचना के अनुसार झारखण्ड राज्य में अनुमानित प्रारंभिक निजी विद्यालयों की संख्या-5810 है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-2 में वर्णित विद्यालयों के बंद होने से राज्य में लगभग 85 लाख बच्चों को शिक्षा से वंचित होने के साथ-साथ लगभग 03 लाख शिक्षक एवं 01 लाख गैर-शिक्षकेत्तर कर्मी बेरोजगार हो जायेंगे;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि ऐसे आँकड़े विभाग में मान्यता प्राप्त न होने के कारण उपलब्ध नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में खण्ड-02 में वर्णित विद्यालयों के खण्ड-01 में वर्णित मानक को समाप्त करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के आलोक में ही झारखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 अधिसूचित किया गया है। अतः परिवर्तन करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

अबु सिद्दे 13/12/17

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 1720 राँची, दिनांक 13/12/2017

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2832, दिनांक 09.12.2017 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अबु सिद्दे 13/12/17

सरकार के अवर सचिव

Khurshid